# न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 86 / 2016 जिला दौसा

1. रामसिंह पुत्र लड्डू सिंह जाति दरोगा (कोठारी) निवासी डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. पप्पू सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह कथित दत्तक पुत्र कालू सिंह, जाति दरोगा (कोठारी) निवासी डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
3. ग्रम पंचायत डिगो, पंचायत समिति लालसोट, जरिये सरपंच, ग्रम पंचायत डिगो ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 17.6.2015

उपस्थित–

1 वकील अपीलान्ट श्री विनोद कुमार विजय

2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री लक्ष्मण सिंह

## निर्णय

दिनांक –21.11.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धरा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 17.6.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का गैर खातेदार कालू सिंह पुत्र. किशन सिंह कौम दरोगा था जिसके लॅाऔलाद फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 1663 पटवारी हल्का द्वारा ग्रम पंचायत डिगो के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट पप्पू सिंह पि.मु. कालू सिंह के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत डिगो द्वारा दिनांक 7.1.2007 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार कालू सिंह के भाई के लडके रामसिंह द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.2015 द्वारा यह मानते हुये कि सरपंच ग्रम पंचायत डिगो द्वारा अपने प्रमाण पत्र में पप्पू सिंह को ही कालू सिंह का दत्तक पुत्र होना अंकित किया है एवं पप्पू सिंह के अलावा कोई दत्तक पुत्र नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की है । उप. खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 17.6.2015 के खिलाफ अपीलान्ट रामसिंह पुत्र लड्डू सिंह द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 4.1.16 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.2015 व ग्रम पंचायत डिगो का निर्णय दिनांक 7.1.2007 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि कालू सिंह पुत्र किशन सिंह को आवंटित हुई थी और राजस्व अभिलेख में कालूसिंह गैर खातेदार दर्ज हुये थे । कालू सिंह के जगन्नाथ सिंह, हरनाथ सिंह, गोविन्द सिंह, प्रहलाद सिंह, रामप्रसाद सिंह, लड्डू सिंह खास भाई थे , लेकिन कालू सिंह के लॅाऔलाद फौत होने पर जगन्नाथ के

पुत्र पप्पू सिंह को कालूसिंह का दत्तक पुत्र मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण पप्पू सिंह के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किया है। उनका कहना था कि कालसिंह ने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नहीं लिया था । कालू सिंह की मृत्यु उपरान्त उसके सारे संस्कार, क्रियाकर्म द्वादशा वगैहरा उसके खास भाईयों द्वारा किये गये थे । कालू सिंह के भाई जगन्नाथ के पुत्र पप्पू सिंह ने पटवारी हल्का व ग्रम पंचायत से साज कर गलत व अवैध तरीके से कालू सिंह का दत्तक पुत्र बनकर प्रश्नगत नामांतरकरण अपने नाम तस्दीक कराया है, जो विधिविरूद्ध है । उनका कहना था कि निर्वाचक नामावली 2014 , मतदाता पहचान पत्र , परिवार राशन कार्ड आदि में पप्पू सिंह के पिता का नाम जगन्नाथ अंकित है तथा ग्रम पंचायत डिगो की सरपंच पिंकी देवी द्वारा दिनांक 5.1.2016 को जारी प्रमाण पत्र में भी पप्पू सिंह को जगन्नाथ का पुत्र अंकित किया है तथा कालू सिह की मृत्यु पश्चात् उसके सभी क्रिया कर्म द्वादशा सभी भाईयों ने मिलकर किये जाने का उल्लेख किया है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैंप खटूम्बर में सुनवाई हेतु रखने बाबत कोई सूचना अपीलान्ट को या उसके अधिवक्ता को नहीं दी और बिना अपीलान्ट को सुने ओर लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्रम पंचायत से पत्रावली तलब किये बिना एवं दत्तक ग्रहण से संबंधी कोई दस्तावेज रेकार्ड पर प्रस्तुत नहीं होने पर भी मात्र सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्नीय है । उनका कहना था कि दत्तक का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही मे तय नहीं किया जा सकता । यदि कोई व्यक्ति दत्तक के आधार पर अधिकार चाहता है तो उसे अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण, विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट पप्पू सिंह ही मृतक खातेदार कालू सिंह का दत्तक पुत्र है तथा ग्रम पंचायत डिगो द्वारा पप्पू सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह को कालू सिंह का दत्तक पुत्र होने का प्रमाण पत्र जारी किया है । ग्रम पंचायत डिगो द्वारा ग्रम पंचायत के विरासत प्रमाण पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट पप्पू सिंह के नाम कालू सिह की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण स्वीकार किया है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.2015 राजस्व लोक अदालत कैम्प खटूम्बर में पारित कर सरपंच ग्रम पंचायत डिगो द्वारा जारी प्रमाण पत्र में पप्पू सिंह को कालू सिंह का दत्तक पुत्र मानने वं पप्पू सिंह के अलावा कोई दत्तक पुत्र नहीं होने के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार कालू सिंह की विरासत का है । ग्रम पंचायत डिगो द्वारा कालू सिंह के लॉओलाद फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नांमातरकरण ग्रम पंचायत डिगो के प्रमाण पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट पप्पू सिंह दत्तक पुत्र कालू सिंह के नाम स्वीकार किया है । अपीलान्ट रामसिंह मृतक कालू सिंह के भाई लड्डू सिंह का पुत्र है जिसकी प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज की है । ग्रम पंचायत द्वारा केवल सरपंच ग्रम पंचायत डिगो के प्रमाण पत्र के

आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट पप्पू सिंह के नाम स्वीकार किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । रेस्पोंडेन्ट पप्पू सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह को मृतक खातेदार कालू सिंह द्वारा गोद लिये जाने से संबंधित कोई गोदनामा रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट रामसिंह को बिना सुने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना 17.6.15 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खटूम्बर में पारित कर रेस्पोंडेन्ट पप्पू सिंह को कालू सिंह का दत्तक पुत्र होना एवं पप्पू सिंह के अलावा कोई दत्तक पुत्र नहीं होना मानते हुये अपीलान्ट रामसिंह की अपील खारिज की है, जबकि प्रकरण में दिनांक 22.6.2015 नियत थी ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष मे हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 17.6.2015 आदेशिका पर बहुत ही संक्षिप्त है एवं प्रकरण में बहस सुने बिना एवं निर्णय हेतु तारीख पेशी नियत किये बिना पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ, विधि विरूद्ध है एवं स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं होने से निरस्तनीय है तथा पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1663 दिनांक 7.1.2007 एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 17.6.2015 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी लालसोट को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर